

188  
103



॥ श्री ॥ अाग - 2464 - पठर - 16

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प उज्जैन, म.प्र.

निगरानी क्रमांक /2016

1. महेश पिता चम्पालाल
2. सालगराम पिता बंदीलालजी
3. बनेसिंह पिता रामचंद्र
4. आकाश पिता रणजीत
5. विष्णु पिता अम्बाराम

निवासीगण-ग्राम अखेपुर, तहसील व जिला देवास

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, देवास,

जिला देवास

.....प्रतिप्रार्थी

श्री. राजेश चव्हाण उष्य  
द्वारा आज दि. 25-7-16 को  
प्रस्तुत

केम्प ऑफ कोर्ट  
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

25/7/16

विषय :- धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग देवास, जिला देवास के द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/ए-90-बी/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18/04/2016 के विरुद्ध निगरानी।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी अवधि में प्रस्तुत है :-

भूमिका

01 यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी देवास ने प्रार्थीगण के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 30.06.2012, जिसके माध्यम से वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण को षट्टे पर आवंटित की गई थी, के विरुद्ध पुर्नविलोकन की अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही प्रारंभ की। यह कार्यवाही भूमि सर्वे नंबर 177 रकबा 0.28, सर्वे नंबर 204 रकबा


3

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2464-पीबीआर/16

जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सामदानी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	